R 530-II/17 (90)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

धीरेन्द्र सिंह पिता श्री बुद्धसेन सिंह निवासी ग्राम गोरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र. ....निगराकार

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक बड़वार तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0
2. द्रोपदीबाई पत्नी मदन सिंह ग्राम गोरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0

..................गैरनिगराकार

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा आज दि. 04/02/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

आवेदन पत्र बावत राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़वार तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र. के रा.प्र.क्र. 16अ12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने बावत।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

मान्यवर,

निगराकार धीरेन्द्र सिंह पिता बुद्धसेन सिंह निवासी ग्राम गोरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र. की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय रा.प्र.क्र. 16अ12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी प्रस्तुत कर विनय है कि

1. यह कि ग्राम गोरहाई की आ0नं0 100/287/2 एवं 100/4 का सीमांकन कराये जाने बावत आवेदन पत्र गैर निगराकार गणों द्वारा सीमांकन का आवेदन ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 530–दो/17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बडवार तहसील रामनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 16/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.7.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा आदेश की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा धारा 48 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक का प्रकरण नामांतरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी रामनगर के न्यायालय में संचालित है ऐसी स्थिति में कराया गया सीमांकन अवैध एवं अनुचित है। सीमांकन की सूचना सरहदी कास्तकारों को नहीं दी गई है और सीमांकन की कार्यवाही चोरी छिपे की गई है। धारा–5 के आवेदन पंर उनके द्वारा बताया गया है कि सीमांकन की जानकारी नहीं होने के कारण यह निगरानी विलंब से प्रस्तुत की गई है । अतः धारा–5	

का आवेदन स्वीकार कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में लगभग 18 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा —5 के अन्तर्गत जो आवेदन प्रस्तुत किया गया उसके पेरा कमांक 2 में यह लेखबद्व किया गया है कि ग्राम गोरहाई की आराजी न0 100/287/2 एवं 100/4 का सीमांकन किये जाने की सूचना राजस्व निरीक्षक वृत्त बडवार द्वारा नहीं दी गई है, और सीमांकन की कार्यवाही चोरी छिपे की गई है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.5.15 को सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें ग्राम के चौकीदार द्वारा दिनांक 20.5.2015 को सूचना पत्र पर लेख किया है कि सरहदी कास्तकारों को सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक का यह तर्क मानने योग्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि वाह्य होने से अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य